न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री प्रमोद कुमार, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 90 / 2022

प्रार्थी	**बनाम**	विप्रार्थीगण
1. रामजीराम पुत्र राणाराम जाति भील निवासी सणपा मानजी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर		1. तगाराम पुत्र जीवाराम 2. विरमाराम पुत्र जीवाराम 3. पुराराम पुत्र खेताराम 4. करनाराम पुत्र खेताराम 5. गोमाराम पुत्र खेताराम जातियान मेगवाल निवासी सणपा मानजी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 6. चुतराराम पुत्र अनाराम जाति जाट निवासी सणपा मानजी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 7. मालाराम पुत्र राणाराम जाति भील निवासी सणपा मानजी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 8. बाबू खा पुत्र रहमान खा 9. सुलेमान खा पुत्र गफूर खा जातियान मुसलमान निवासी सणपा मानजी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर 10. सत पुनमदास बजरिए मडी निवासी सणपा मानजी तहसील सिणधरी 11. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री रामजीवन विश्नोई, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

2. विप्रार्थी एकतरफा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kuma
Date: 2024.03.04 14:47:46 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

दिनांक [illegible].2024

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी का खेत मौजा सणपा मानजी पटवार हल्का सणपा मानजी के खेत खसरा नम्बर 55 / 3 रकबा 2.8639 हैक्टेयर किस्म बारानी

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

सोयम खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की मांटे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा खेत मौजा सणपा मानजी पटवार हल्का सणपा मानजी के खेत खसरा नम्बर 55/3 रकबा 2.8639 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत मौजा सणपा मानजी पटवार हल्का सणपा मानजी के खेत खसरा नम्बर 55/3 रकबा 2.8639 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि आई हुई है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माट या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीद्वारा मौजा सणपा मानजी पटवार हल्का सणपा मानजी के खेत खसरा नम्बर 55/3 रकबा 2.8639 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया मौजा सणपा मानजी पटवार हल्का सणपा मानजी के खेत खसरा नम्बर 55/3 रकबा 2.8639 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के [illegible] है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए [illegible] होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर [illegible] होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करते। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:47:46 IST
Reason: SelfAttested

5. लिहाजा,प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा सणपा मानजी पटवार हल्का सणपा मानजी के खेत खसरा नम्बर 55/3 रकबा 2.8639 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि

उपखण्ड अधिकारी
भिणाय

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Signature

Digitally sign
Date: 2024.0
Reason: Sel